

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस
चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/सं/2021/ 929

जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

“आदेश”

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं/एनएचएम/एचआर/2020/401 दिनांक 12.01.2021 के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम REIC के अंतर्गत **स्पेशल एजुकेंटर** के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन 15000/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित शर्तों के तहत अधिष्ठाता, मेडिकल कालेज जबलपुर में पदस्थ किया जाता है।

| क्र | नाम | श्रेणी | पद का नाम एवं विभाग |
|-----|------------------------|-----------|--|
| 1. | SANGEETA BENDEY SHINDE | अनारक्षित | स्पेशल एजुकेंटर आरईआईसी, शिशु रोग विभाग |

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधीन होगी

1. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्तकर्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र स्वीकृति पत्र (जहाँ पूर्व में कार्यरत थे।) प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. जिन उम्मीदवारों के द्वारा पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें 8 माह के भीतर पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. आपकी 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति है, जो अस्थाई रूप से है।
6. नियुक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 16.02.2021 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
7. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरान्त एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
9. आपकी नियुक्ति एन.एच.एम. एच.आर. मैनुअल की सेवा शर्तों के अधीन है। एन.एच.एम. अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है। तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
10. एन.एच.एम. द्वारा समय समय पर दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
11. महिला कर्मचारियों के लिये प्रथम वर्ष में प्रसूति अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
12. संविदा पदों पर नियुक्ति संविदा अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् 31 मार्च तक के लिये होगी।

At.

13. एनएचएम के नियमानुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया करना आवश्यक है।
14. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
15. संस्था में मादक एवं उत्तेजक पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। यदि आप इस प्रकार सेवन करते हुये पाये गये तो आपका पद से पदच्युत कर दिया जावेगा।
16. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि आपके विपरीत विरुद्ध आचरण संबंधी कोई आरोप सिद्ध होते हैं तो सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जायेगा।
17. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
18. आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।

4
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

पृकमांक/स्था/अराज/एनएचएम/आरबीएसके/2021/ 929

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

- 1 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
- 2 मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर।
- 3 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जबलपुर की ओर।
- 4 संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर की ओर।
- 5 नोडल अधिकारी, एनएचएम मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 6 विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 7 स्थानीय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि इनका निश्चित वेतन मुगतान एनएचएम आर.बी.एस.के.बजट से करना सुनिश्चित करें।।
- 8 कृ./श्रीमति/श्रीपिता.....पता.....
..... सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

9
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

Aut

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस
चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/सं/2021/920

जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

“आदेश”

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं/एनएचएम/एचआर/2020/401 दिनांक 12.01.2021 के तहत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम REIC के अंतर्गत सोशल वर्कर के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन 12000/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित शर्तों के तहत अधिष्ठाता, मेडिकल कालेज जबलपुर में पदस्थ किया जाता है।

| क्र | नाम | श्रेणी | पद का नाम एवं विभाग |
|-----|----------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. | VANDANA THAKUR | अनारक्षित | सोशल वर्कर , आरईआईसी, शिशु रोग विभाग |

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी

1. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्तकर्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र स्वीकृति पत्र (जहाँ पूर्व में कार्यरत थे।) प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. जिन उम्मीदवारों के द्वारा पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें 8 माह के भीतर पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. आपकी 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति है, जो अस्थाई रूप से है।
6. नियुक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 16.02.2021 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
7. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरान्त एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
9. आपकी नियुक्ति एन.एच.एम. एच.आर. मैनुअल की सेवा शर्तों के अधीन है। एन.एच.एम. अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है। तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
10. एन.एच.एम. द्वारा समय समय पर दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
11. महिला कर्मचारियों के लिये प्रथम वर्ष में प्रसूति अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
12. संविदा पदों पर नियुक्ति संविदा अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् 31 मार्च तक के लिये होगी।

13. एनएचएम के नियमानुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया करना आवश्यक है।
14. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
15. संस्था में मादक एवं उत्तेजक पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। यदि आप इस प्रकार सेवन करते हुये पाये गये तो आपका पद से पदच्युत कर दिया जावेगा।
16. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि आपके विपरीत विरुद्ध आचरण संबंधी कोई आरोप सिद्ध होते है तो सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जायेगा।
17. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
18. आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।

4
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

पृक्रमांक/स्था/अराज/एनएचएम/आरबीएसके/2021/

928

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

- 1 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
- 2 मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर।
- 3 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर की ओर।
- 4 संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर की ओर।
- 5 नोडल अधिकारी, एनएचएम मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 6 विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 7 स्थानीय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि इनका निश्चित वेतन भुगतान एनएचएम आर.बी.एस.के.बजट से करना सुनिश्चित करें।।
- 8 कु./श्रीमति/श्रीपिता.....पता.....

..... सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

4
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

A

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस
चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/सं/2021/ 927

जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

“आदेश”

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं/एनएचएम/एचआर/2020/401 दिनांक 12.01.2021 के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम REIC के अंतर्गत साइकोलॉजिस्ट के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन 20,000/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित शर्तों के तहत अधिष्ठाता, मेडिकल कालेज जबलपुर में पदस्थ किया जाता है।


| क्र | नाम | श्रेणी | पद का नाम एवं विभाग |
|-----|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. | BEENU THAKUR | अनारक्षित | साइकोलॉजिस्ट आरईआईसी, शिशु रोग विभाग |

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधीन होगी

1. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्तकर्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र स्वीकृति पत्र (जहाँ पूर्व में कार्यरत थे।) प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. जिन उम्मीदवारों के द्वारा पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें 8 माह के भीतर पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. आपकी 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति है, जो अस्थाई रूप से है।
6. नियुक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 16.02.2021 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
7. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरान्त एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
9. आपकी नियुक्ति एन.एच.एम. एच.आर. मैनुअल की सेवा शर्तों के अधीन है। एन.एच.एम. अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है। तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
10. एन.एच.एम. द्वारा समय समय पर दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
11. महिला कर्मचारियों के लिये प्रथम वर्ष में प्रसूति अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
12. संविदा पदों पर नियुक्ति संविदा अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् 31 मार्च तक के लिये होगी।

At -

13. एनएचएम के नियमानुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया करना आवश्यक है।
14. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
15. संस्था में मादक एवं उत्तेजक पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। यदि आप इस प्रकार सेवन करते हुये पाये गये तो आपका पद से पदच्युत कर दिया जावेगा।
16. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि आपके विपरीत विरुद्ध आचरण संबंधी कोई आरोप सिद्ध होते है तो सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जायेगा।
17. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
18. आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
 मेडिकल कालेज जबलपुर


जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

पृक्रमांक/स्था/अराज/एनएचएम/आरबीएसके/2021/ 927

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

- 1 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
- 2 मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर।
- 3 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर की ओर।
- 4 संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर की ओर।
- 5 नोडल अधिकारी, एनएचएम मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 6 विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 7 स्थानीय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि इनका निश्चित वेतन भुगतान एनएचएम आर.बी.एस.के.बजट से करना सुनिश्चित करें।।
- 8 कृ./श्रीमति/श्रीपिता.....पता.....

..... सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
 मेडिकल कालेज जबलपुर



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस
चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/सं/2021/ 924

जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

“आदेश”

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं/एनएचएम/एचआर/2020/401 दिनांक 12.01.2021 के तहत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन 20000/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के तहत अधिष्ठाता, मेडिकल कालेज जबलपुर में पदस्थ किया जाता है।

| क्र | नाम | श्रेणी | पद का नाम एवं विभाग |
|-----|----------------|-----------|----------------------------|
| 1. | RACHANA RAO | अनारक्षित | स्टाफ नर्स, शिशु रोग विभाग |
| 2. | POOJA AGRAWAL | अनारक्षित | स्टाफ नर्स, शिशु रोग विभाग |
| 3. | KIARN DESHMUKH | ईडब्लूएस | स्टाफ नर्स, शिशु रोग विभाग |
| 4. | AKSHATA NAYAK | एससी | स्टाफ नर्स, शिशु रोग विभाग |
| 5. | KIRTI AHIRWAR | एससी | स्टाफ नर्स, शिशु रोग विभाग |
| 6. | KIRTI WARWADE | एसटी | स्टाफ नर्स, शिशु रोग विभाग |

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधीन होगी

1. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्तकर्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र स्वीकृति पत्र (जहाँ पूर्व में कार्यरत थे।) प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. जिन उम्मीदवारों के द्वारा पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें 8 माह के भीतर पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. आपकी 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति है, जो अस्थाई रूप से है।
6. नियुक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 16.02.2021 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
7. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरान्त एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।

9. आपकी नियुक्ति एन.एच.एम. एच.आर मैनुअल की सेवा शर्तों के अधीन है। एन.एच.एम. अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है। तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
10. एन.एच.एम. द्वारा समय समय पर दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
11. महिला कर्मचारियों के लिये प्रथम वर्ष में प्रसूति अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
12. संविदा पदों पर नियुक्ति संविदा अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् 31 मार्च तक के लिये होगी।
13. एनएचएम के नियमानुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया करना आवश्यक है।
14. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
15. संस्था में मादक एवं उत्तेजक पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। यदि आप इस प्रकार सेवन करते हुये पाये गये तो आपका पद से पदच्युत कर दिया जावेगा।
16. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि आपके विपरीत विरुद्ध आचरण संबंधी कोई आरोप सिद्ध होते है तो सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जायेगा।
17. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
18. आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

पृक्रमांक/स्था/अराज/एनएचएम/आरबीएसके/2021/ 924

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

- 1 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
- 2 मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर।
- 3 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर की ओर।
- 4 संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर की ओर।
- 5 नोडल अधिकारी, एनएचएम मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 6 विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 7 स्थानीय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि इनका निश्चित वेतन भुगतान एनएचएम आर.बी.एस.के.बजट से करना सुनिश्चित करें।।
- 8 क. / श्रीमति / श्रीपिता.....पता.....

..... सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस
चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/सं/2021/ 926

जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

“आदेश”

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं/एनएचएम/एचआर/2020/401 दिनांक 12.01.2021 के तहत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम REIC के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन 25,000/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित शर्तों के तहत अधिष्ठाता, मेडिकल कालेज जबलपुर में पदस्थ किया जाता है।

| क्र | नाम | श्रेणी | पद का नाम एवं विभाग |
|-----|--------------|-----------|---|
| 1. | SATISH KUMAR | अनारक्षित | फिजियोथेरेपिस्ट आरईआईसी, शिशु रोग विभाग |

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधीन होगी

1. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्तकर्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र स्वीकृति पत्र (जहाँ पूर्व में कार्यरत थे।) प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. जिन उम्मीदवारों के द्वारा पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें 8 माह के भीतर पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. आपकी 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति है, जो अस्थाई रूप से है।
6. नियुक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 16.02.2021 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
7. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरान्त एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
9. आपकी नियुक्ति एन.एच.एम. एच.आर. मैनुअल की सेवा शर्तों के अधीन है। एन.एच.एम. अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है। तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
10. एन.एच.एम. द्वारा समय समय पर दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
11. महिला कर्मचारियों के लिये प्रथम वर्ष में प्रसूति अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
12. संविदा पदों पर नियुक्ति संविदा अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् 31 मार्च तक के लिये होगी।

13. एनएचएम के नियमानुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया करना आवश्यक है।
14. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
15. संस्था में मादक एवं उत्तेजक पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। यदि आप इस प्रकार सेवन करते हुये पाये गये तो आपका पद से पदच्युक्त कर दिया जावेगा।
16. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि आपके विपरीत विरुद्ध आचरण संबंधी कोई आरोप सिद्ध होते है तो सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जायेगा।
17. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
18. आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।

4

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर**

जबलपुर, दिनांक /02/2021

पृक्रमांक/स्था/अराज/एनएचएम/आरबीएसके/2021/
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

- 1 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
- 2 मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर।
- 3 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर की ओर।
- 4 संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर की ओर।
- 5 नोडल अधिकारी, एनएचएम मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 6 विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 7 स्थानीय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि इनका निश्चित वेतन भुगतान एनएचएम आर.बी.एस.के.बजट से करना सुनिश्चित करें।।
- 8 कु./श्रीमति/श्रीपिता.....पता.....

..... सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस
चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/सं/2021/ 925

जबलपुर, दिनांक 2/02/2021

“आदेश”

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं/एनएचएम/एचआर/2020/401 दिनांक 12.01.2021 के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम REIC के अंतर्गत ऑडियोलॉजिस्ट के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन 20,000/- प्रतिमाह पर निम्नलिखित शर्तों के तहत अधिष्ठाता, मेडिकल कालेज जबलपुर में पदस्थ किया जाता है।

| क्र | नाम | श्रेणी | पद का नाम एवं विभाग |
|-----|----------------|-----------|---|
| 1. | NIHARIKA PATEL | अनारक्षित | ऑडियोलॉजिस्ट आरईआईसी, शिशु रोग विभाग |

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधीन होगी

1. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्तकर्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र स्वीकृति पत्र (जहाँ पूर्व में कार्यरत थे।) प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. जिन उम्मीदवारों के द्वारा पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें 8 माह के भीतर पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. आपकी 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति है, जो अस्थाई रूप से है।
6. नियुक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 16.02.2021 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
7. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरान्त एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
9. आपकी नियुक्ति एन.एच.एम. एच.आर. मैनुअल की सेवा शर्तों के अधीन है। एन.एच.एम. अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है। तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
10. एन.एच.एम. द्वारा समय समय पर दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
11. महिला कर्मचारियों के लिये प्रथम वर्ष में प्रसूति अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
12. संविदा पदों पर नियुक्ति संविदा अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् 31 मार्च तक के लिये होगी।

13. एनएचएम के नियमानुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया करना आवश्यक है।
14. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
15. संस्था में मादक एवं उत्तेजक पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। यदि आप इस प्रकार सेवन करते हुये पाये गये तो आपका पद से पदच्युत कर दिया जावेगा।
16. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि आपके विपरीत विरुद्ध आचरण संबंधी कोई आरोप सिद्ध होते है तो सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जायेगा।
17. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
18. आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।

4

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

जबलपुर, दिनांक /02/2021

पृकमांक/स्था/अराज/एनएचएम/आरबीएसके/2021/
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

- 1 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर।
- 2 मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर।
- 3 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर की ओर।
- 4 संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर की ओर।
- 5 नोडल अधिकारी, एनएचएम मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 6 विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
- 7 स्थानीय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि इनका निश्चित वेतन भुगतान एनएचएम आर.बी.एस.के.बजट से करना सुनिश्चित करें।।
- 8 कृ./श्रीमति/श्रीपिता.....पता.....

..... सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर